अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 2 फरवरी, 2017

सं0 06/2017-सीमाशुल्क

सा.का.नि. (अ) -- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 12/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में,--

(क) सारणी में,--

(i) क्रम सं. 138 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) क्रम सं. 172क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“172ख	2902 41 00	ओ-जाइलीन	कुछ नहीं	-	-”;

(iii) क्रम सं. 181क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“181क	2914 61 00, 2914 69 90	हाइड्रोजन पैराआक्साइड के विनिर्माण में उपयोग के लिए एंथ्राक्विनोन या 2-ईथाइल एंथ्राक्विनोन	2.5%	-	5”;

(iv) क्रम सं. 182 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, “शोधित टैरापैथलिक अम्ल (शो.टै.अ.), मध्यम क्वालिटी टैरापैथलिक अम्ल (म.क्वा.टै.अ.) और अर्हित टैरापैथलिक अम्ल (अ.टै.अ.)” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) क्रम सं. 208 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“208क	3201 20 00	वाटल निष्कर्ष	2.5%	-	-
208ख	3201 90 20	माइरोबालन फल निष्कर्ष	2.5%	-	-”;

(vi) क्रम सं. 214 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“214क	3404 20 00	पोली कार्बोजाइलेट ईथर के विनिर्माण में उपयोग के लिए विनाइल पॉली ईथाइलिन ग्लाइकोल	7.5%	-	5”;

(vii) क्रम सं. 230ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“230ग	3815 90 00	वायु प्रचालित विद्युत जनित्र के ढले हुए भागों के विनिर्माण के लिए उत्प्रेरक	5%	-	46
230घ	3909 40 90	वायु प्रचालित विद्युत जनित्र के ढले हुए भागों के विनिर्माण के लिए रेजीन	5%	-	46”;

(viii) क्रम सं. 294 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“294क	5404 19 90	एकल फिलामेंट सूत	5%	-	29क”;

(ix) क्रम सं. 305क के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, “कछु नहीं” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) क्रम सं. 324 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“324	71	आयात से भिन्न ऐसे मालों का डाक, कोरियर यात्री समान के माध्यम से--			
		(i) मेडोलियन से भिन्न रजत, किसी भी अन्य प्ररूप में और रजत सिक्के जिनमें रजत 99.9% से कम न हो या उपशीर्ष 7106 92 के अधीन आने वाले रजन के अर्धविनिर्मित प्ररूप ;	10%	कुछ नहीं	-
		(ii) मेडोलियन और रजत सिक्के जिनमें रजत 99.9% से कम न हो या उपशीर्ष 7106 92 के अधीन आने वाले रजत के अर्धविनिर्मित प्ररूप ।	10%	-	-
		स्पष्टीकरण–इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए रजत के किसी अन्य प्ररूप में विदेशी करेंसी सिक्के, रजत से विनिर्मित आभूषण या रजत से बनी वस्तुएं सम्मिलित नहीं होंगी ।”;			

(xi) क्रम सं. 333ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“333ग	7208	शीर्ष 7305 या 7306 के अधीन आने वाले नलिकाएं और पाइप के विनिर्माण में उपयोग के लिए तप्त वेल्लित कुंडली	10%	-	5
333घ	7212 40 00	दूरसंचार श्रेणी आपटिकल फाइबर या आपटिकल फाइबर केबल के विनिर्माण	10%	-	5

		में उपयोग के लिए को-पॉलीमर लेपित एमएस टेप/स्टेनलेस इस्पात टेप			
333ङ	7225 19 90	7225 11 00 के अधीन आने वाले अतप्त वेल्लित दानेदार उद्धूत इस्पात (अ.वे.दा.उ.इ.) के विनिर्माण के उपयोग के लिए मैगनीज ऑक्साइड लेपित अतप्त वेल्लित इस्पात कुंडलियां	5%	-	5";

(xii) क्रम सं. 337 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, "कुछ नहीं" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) क्रम सं. 371घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"371ङ	2818 20 90	उत्प्रेरक परिवर्तित्र के लिए चीनी मिट्टी कार्यद्रव में उपयोग हेतु मृत्तिका 2 चूर्ण (एलूमेक्स)	5%	-	5";

(xiv) क्रम सं. 400 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"400क	8421 99 00	घरेलू प्रकार के फिल्टरों के लिए अरक्षित परासरण मेमबरेन तंतु से भिन्न सभी माल	7.5%	-	-";

(xv) क्रम सं. 406ख के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, "सीएनसी खराद (टैरिफ मद 8458 11 00, 8458 91 00) के विनिर्माण मे उपयोग के लिए गोल पेंच, मशीनन केन्द्र (टैरिफ मद 8457 10 10, 8457 10 20) या 8456 से 8463 शीर्षों के अधीन आने वाले सीएनसी मशीन पुर्जों के सभी किस्म" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) क्रम सं. 406ग के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, “सीएनसी खराद के विनिर्माण मे उपयोग के लिए संख्यात्मकता नियंत्रित (टैरिफ मद 8458 11 00, 8458 91 00), मशीनन केन्द्र (टैरिफ मद 8457 10 10, 8457 10 20) या 8456 से 8463 शीर्षों के अधीन आने वाले सीएनसी मशीन पुर्जों के सभी किस्म” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) क्रम सं. 406घ के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, “सीएनसी खराद के विनिर्माण मे उपयोग के लिए सीएनसी प्रणाली (टैरिफ मद 8458 11 00, 8458 91 00), मशीनन केन्द्र (टैरिफ मद 8457 10 10, 8457 10 20) या 8456 से 8463 शीर्षों के अधीन आने वाले सीएनसी मशीन पुर्जों के सभी किस्म” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) क्रम सं. 408 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“408क	84 या 85	निम्नलिखित माल, अर्थात् :--			
		(i) मानक संस्करण 1.5.1 के अनुसार सुक्ष्म एटीएम;	कुछ नहीं	-	-
		(ii) अंगुल छाप रीडर/स्कैनर ;	कुछ नहीं	-	-
		(iii) आईरिस स्कैनर ;	कुछ नहीं	-	-
		(iv) एमपीओएस (मोबाइल फोन या टेबलेट कंप्यूटर से भिन्न) के लिए लघुरूपी पीओएस कार्ड रीडर;	कुछ नहीं	-	-
		(v) उपरोक्त (i) से (iv) पर उल्लिखित मालो के विनिर्माण के लिए पुर्जे और संघटक ।	कुछ नहीं	-	5”;

(xix) क्रम सं. 410 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“410क	कोई अध्याय	एलईडी लाइट या फिक्सचर, जिसके अंतर्गत एलईडी लाइट लैंप्स भी हैं, के	5%	-	5

		विनिर्माण के लिए सभी भाग			
410ख	कोई अध्याय	एलईडी लाइट और फिक्सचर या एलईडी लैंप के लिए एलईडी (प्रकाश उत्सर्जन डायोड) ड्राइवर या एमसीपीसीबी (धातु क्रोड मुद्रित परिपथ बोर्ड) के विनिर्माण में प्रयोग हेतु सभी इंपुट	5%	-	5”;

(xx) क्रम सं. 519 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, “डाक पार्सल, पैकेट और पत्रों के माध्यम से आयातित माल जिसका सीआईएफ मूल्य एक हजार रुपए प्रति परेषण से अधिक न हो” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) उपाबंध में,--

(i) शर्त सं0 27 में शर्त (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :--

“(ख) निर्यात किए गए माल का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात किए गए चमड़े के जूतादि या संश्लिष्ट जूतादि या अन्य चमड़े उत्पाद के एफओबी मूल्य के 5% से अधिक नहीं होगा ;”;

(ii) शर्त सं0 29 के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

शर्त सं0	शर्त
"29क	आयातकर्ता, यदि आयात करने के समय, ऐसे अधिकारी से जो निदेशक, भारत सरकार समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की पंक्ति से कम न हो, का इस प्रभाव का प्रमाणपत्र देगा कि आयातित माल टुना फिशिंग के लिए एकल फिलामेंट दीर्घ पंक्ति प्रणाली में उपयोग के लिए आयतित है ।";

(iii) शर्त सं0 40क में खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(ङ) जहां इस प्रकार आयात किए गए माल का निस्तारण किया जाना है, यथास्थिति, आयातकर्ता या अन्तरिती, सीमाशुल्क जो संदेय किया जा सकेगा लेकिन यहां अन्तर्विष्ट छूट के लिए ऐसे माल के ह्रास मूल्य पर इस शर्त के

अध्यधीन कि आयातकर्ता या अन्तरिती, यथास्थिति, सहायक आयुक्त सीमाशुल्क या उपायुक्त सीमाशुल्क, यथास्थिति, जो आयात के पत्तन पर अधिकारिता रखता हो, को महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र कि उक्त माल पेट्रोलियम प्रचालनों या कोयला बैड मिथेन प्रचालनों के लिए अधिक समय तक अपेक्षित नहीं है, प्रस्तुत करेगा और माल का ह्रास मूल्य, माल के समाशोधन की तारीख से वर्ष के प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए नीचे यथाविनिर्दिष्ट ऋजु रेखा प्रणाली द्वारा संगणित प्रतिशत विन्दुओं द्वारा कम आयात के समय पर माल के मूल मूल्य के बराबर होगा, अर्थात् :--

70 प्रतिशत की अधिकतम के अधीन रहते हुए

(i) प्रथम वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 4 प्रतिशत की दर;

(ii) दूसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 3 प्रतिशत की दर;

(iii) तीसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 2.5 प्रतिशत की दर; और

(iv) चौथे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 2 प्रतिशत की दर ।";

(ग) सूची 5 में मद सं0 23 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा.सं0 334/7/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 12/2012-सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 भारत के राजपत्र, असाधारण, में द्वारा प्रकाशित की गई थी सा.का.नि. 185(अ) तारीख 17 मार्च, 2012 और सं. 62/2016-सीमा शुल्क, तारीख 31 दिसम्बर, 2016 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में द्वारा प्रकाशित की गई थी सा.का.नि. 1202(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 2016 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई ।